न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 01/16</u> निर्णय दिनांकः 13.05.2019

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र टेकचन्द जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 9 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद चक 24 केएलडी तहसील कोलायत।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 28—03—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—03—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा स्कीम से बाहर/अथवा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 29—12—1995 को बतौर विशेष आवंटन चक 6 पीआरएम वर्तमान चक 5 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 37/62 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अरनेस्ट मनी राशि 500/— खजानाराज में जमा करवा दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व

सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 6 पीआरएम वर्तमान चक 5 पीआरएम के मुरब्बा नम्बर 37/62 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28—03—1998 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 1991 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है।

ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये। जबकि वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—03—1998 के विरूद्व अपील दिनांक 08—01—16 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—03—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 08—01—2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। आवेदक मामूली साक्षर तथा ग्रामीण परिवेश की रहने वाले है जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आवंटन

अधिकारियों की कार्यवाही की लगातार पड़ताल करें। अपीलांट द्वारा गत् 20 साल के दौरान आवंटन अधिकारी के उक्त आदेश की निर्धारित समयावधि में अपील न करने के पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने के आधार पर विलम्ब का शमन किया जाता है।

हस्तगत् प्रकरण मूें अपीलांट ने दिनांक 29—12—1995 को भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके साथ प्रतिभूति राशि जमा होने की रसीद पेश की। उसी दिन आवंटन अधिकारी द्वारा फोटो फार्म जारी किया जाकर प्रकरण विचारार्थ नम्बर पर लिया गया। दिनांक 28—03—1998 को आवंटन अधिकारी ने उक्त मुरब्बा नम्बर 37/62 चक 5 पीआरएम को अन्य को आवंटन बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। जिसकी सूचना आवेदक को दिये जाने का कोई सबूत पत्रावली में नहीं है। उक्त निर्णय आवेदक की पीठ पीछे किया गया।

तत्पश्चात् आवेदित चक आवंटन अधिकारी छत्तरगढ़ के स्थान पर आवंटन अधिकारी, पूगल को स्थानान्तरित हो गया तथा पत्रावली जिला अभिलेखागार में जमा करवा दी गई। दोनों अधिकारियों ने आवेदक की पात्रता के आधार पर वैकल्पिक आवंटन के बारे में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी।

प्रकरण में अपीलाधीन आदेश में आवंटन अधिकारी ने विक्रय/आवंटन योग्य मुरब्बों की सूची को रिकार्ड पर लिये बिना तथा अधीनस्थ राजस्व कर्मियों से रिपोर्ट लिये बिना मात्र कयास के आधार पर मुरब्बा संख्या 37/62 को अन्य को आवंटन बताकर मनमानीपूर्ण तरीके से आवेदन खारिज कर दिया तथा उक्त कार्यवाही की सूचना आवेदक को भी नहीं दी गई। अपीलांट द्वारा राजस्थान राजपत्र जनवरी, 1991 की प्रति पेश की गई है जिसमें चक 5 पीआरएम का मुरब्बा नम्बर 37/62 को गजट नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जमाबन्दी संवत् 2070—2073 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से साबित है कि आराजी जैर आज दिनांक को राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज भूमि है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि आवंटन अधिकारी ने जानबूझकर बदनीयतीपूर्ण तरीके से अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—03—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर व अन्य को आवंटित नहीं होने पर नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर